छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

–:: अधिसूचना ::–

क्रमांक/PROJ/424/2026-WRD/7–ए/जसं./तशा/डी–4/औजप्र/01, दिनांक 02/02/2026

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम–1931 (क्र.–3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधो के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–3483/7–ए/जसं./तशा/डी–4/औजप्र/ 01, दिनांक 21.10.2020 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल–दरें निर्धारित करती है :–

स.क्र.	विशेष विवरण	जल–दर
1	2	3
1.	"प्रसंस्करण उद्योग" – औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	
अ	शासकीय स्त्रोत–	
1	बांध/जलाशय/बैराज/ एनीकट आदि से..	
(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...	रू. 15.00 प्रति घ.मी.
(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल–कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...	रू. 15.00 प्रति घ.मी.
2	नहर प्रणाली से..	रू. 18.00 प्रति घ.मी.
ब.	नैसर्गिक स्त्रोत से...	
(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से..	रू. 7.50 प्रति घ.मी.
(ii)	भू–जल से...	*टीप–3 अनुसार
स.	स्वनिर्मित स्त्रोत से...	रू. 7.50 प्रति घ.मी.
2.	ऐसे उद्योग जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते हैं...	
अ	शासकीय स्त्रोत–	
1	बांध/जलाशय/बैराज/ एनीकट आदि से..	
(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...	रू. 300.00 प्रति घ.मी.
(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल–कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से...	रू. 300.00 प्रति घ.मी.
2	नहर प्रणाली से..	रू. 360.00 प्रति घ.मी.
ब.	नैसर्गिक स्त्रोत से...	
(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से..	रू. 150.00 प्रति घ.मी.
(ii)	भू–जल से...	*टीप–3 अनुसार
स.	स्वनिर्मित स्त्रोत से...	रू. 150.00 प्रति घ.मी.

--2

Scanned with CamScanner

स.क्र.	विशेष विवरण	जल–दर
1	2	3
3.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति)...	
क.	25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें	
अ.	शासकीय स्त्रोत–	
1	बांध / जलाशय / बैराज / एनीकट आदि से..	रू. 1.60 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन एवं 300 (तीन सौ) पैसे / 100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
2	नहर प्रणाली से..	रू. 1.90 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन एवं 400 (चार सौ) पैसे / 100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
ब.	नैसर्गिक / स्वनिर्मित स्त्रोत से...	रू. 0.50 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर
ख.	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें	
	शासकीय / नैसर्गिक / स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्त्रोत से...	रू. 0.09 प्रति विद्युत इकाई उत्पादन पर
4.	नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) विद्युत परियोजनायें (विभागाधीन जल संरचनाओं की जलीय सतह पर निर्मित या जल संसाधन विभाग की भूमि पर निर्मित)...	रू. 1,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष

टीप :–

1. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल–दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 02 / 02 / 2026) से प्रभावशील रहेंगी।
2. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
3. भू–जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में भू–जल (प्रबंधन एवं विनियमन) नियम, 2024 (दिनांक 20.01.2025 को अधिसूचित) अनुसार जल–कर की दरें प्रभावशील होंगी। पूर्व में जिन संस्थानों को केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से जिस अवधि तक भू–जल दोहन हेतु अनुमति / अनापत्ति प्राप्त हुयी है, उन्हें नियम 2024 अनुसार निर्धारित जल–दर जमा किये जाने की स्थिति में उक्त अनुमति प्राप्त अवधि तक भू–जल दोहन किये जाने की अनुमति होगी। अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व उन्हें नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवदेन प्रस्तुत करना होगा, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर सतही जल उपलब्ध न होने की दशा में भू–जल हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन संस्थानों ने पूर्व में सतही जल अथवा भू–जल दोनों से जल आपूर्ति की अनुमति प्राप्त की हुयी है, ऐसे संस्थानों को पूर्व से अनुमति प्राप्त अवधि तक ही भू–जल दोहन की अनुमति होगी तथा ऐसे संस्थानों के, औद्योगिक प्रयोजन में भू–जल उपयोग की अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा। सतही जल अथवा भू–जल के उपयोग हेतु प्रभावशील जल–कर की दरों में विवाद की स्थिति में जो भी दरें अधिक होंगी, उसके अनुसार जल–कर प्रभावशील होगा।

Scanned with CamScanner

4. "प्रसंस्करण उद्योग" से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जो ठंडा करने, धुलाई करने तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग करते हैं, जहां अंतिम उत्पाद में प्रयुक्त जल का उपयोग उपभोग्य नही होता है।
5. ऐसे उद्योग जिन्हें विभागीय जल संग्रहण संरचना से जल प्रदाय किया जाना है एवं जिनसे, शासन की "जल संग्रहण संरचनाओं के त्वरित निर्माण की विभागीय नीति" के अनुसार अग्रिम जल–कर की राशि वसूल नही की गयी है, उनसे जल प्रदाय बाबत् अनुबंध निष्पादन के पूर्व, वार्षिक आधार पर आबंटित जल की मात्रा के प्रदाय के लिये रूपये 1.00 करोड़ प्रति मिलियन घनमीटर की दर पर एकमुश्त (One Time) राशि सुगमता शुल्क (Facilitation Charge) के रूप में वसूल की जावेगी। यह राशि, नियमित जल–कर या अन्य किसी राशि में समायोजित नही की होगी और ना ही वापसी योग्य होगी।
6. **"ऐसे उद्योग, जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते हैं"**.. से तात्पर्य अंतिम उत्पाद में उपभोग के लिए प्रयुक्त जल से है, जैसे कोल्डड्रिंक्स, बोतल बंद पानी (मिनरल वॉटर) संयंत्र, इथेनॉल (इथेनाल के साथ–साथ अन्य उत्पाद करने वाले उद्योग), शराब बनाने का संयंत्र, स्पिरिट, अल्कोहल और डिस्टिलरीज या इसी प्रकार के अन्य उद्योग।
7. **ऐसे संयंत्र, जिनमें केवल इथेनॉल का उत्पादन होगा**, जिसका उपयोग तेल वितरण कंपनियों द्वारा किया जावेगा, उन्हें छत्तीसगढ़ शासन राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड/उद्योग विभाग की पुष्टि उपरांत, **"जल का उपयोग कच्चेमाल के रूप में करने वाले उद्योग" की श्रेणी से मुक्त रखा जावेगा तथा ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त तालिका के स.क्र.–1–"प्रसंस्करण उद्योग" हेतु उल्लेखित जल–दरे लागू होगी।**
8. **स्वनिर्मित स्त्रोत**–बांध, जलाशय, एनीकट जैसे सतही जल संग्रहण के लिये स्वयं के व्यय पर निर्मित स्त्रोत स्वनिर्मित माने जायेंगे, परंतु खनन गतिविधियों (Mining Activities) एवं इस प्रकार की अन्य गतिविधियों के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से निर्मित गढ्ढे/जलाशय स्वनिर्मित की श्रेणी में नहीं माने जायेंगे। खनन गतिविधियों के दौरान बने गढ्ढो (Mine Pits) में, उनकी अत्याधिक गहराई के कारण सतही जल (वर्षा जल) के साथ–साथ भू–जल भी संग्रहित होता है, जिससे उनमें ग्रीष्मकाल में भी पर्याप्त जल भराव रहता है। खनन गतिविधियों से बने गढ्ढों (Mine Pits) को खनन करने वाली एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर भरा जाना होता है, परंतु प्रायः ऐसा नहीं किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः **इन गढ्ढों (Mine Pits) में भरे जल का उपयोग किये जाने पर औद्योगिक जल उपयोग के लिये "स्वनिर्मित/नैसर्गिक स्त्रोत से जल प्रदाय" की जल–कर दरों की 02 (दो) गुना दरें लागू होंगी।**
9. औद्योगिक जल–दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना के विशेष विवरण अंतर्गत उल्लेखित, **"संस्थानों की अग्रिम जल–कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से..."** की श्रेणी अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं से जल प्रदाय हेतु निर्धारित जल–दर से 25% कम की जल–दर लागू होगी एवं इसका लाभ उन्ही संस्थानों को प्राप्त होगा, जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू–अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल–कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल–कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में, इस अधिसूचना की तालिका के स.क्र.–1.अ के बिन्दु क्र.–1 (i)–"शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना" अंतर्गत कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित जल–दर अथवा तत्समय में प्रचलित जल–दर लागू होंगी।

Scanned with CamScanner

10. जिन उद्योगों ने अपने जल आवंटन के आधार पर अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित नही किए हैं या स्थापित ईटीपी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं उनसे, उन्हें आबंटित जल की मात्रा या वास्तविक जल उपयोग की मात्रा (जो भी अधिक हो) के लिए लागू दर का 3 गुना शुल्क लिया जाएगा।
11. संस्थान, उन्हें आबंटित जल के उपयोग पश्चात्, अपने संयंत्र से निस्सारित जल को रि–साईकलिंग करके, उपचारित जल का उपयोग स्वयं के सिर्फ उस संयंत्र में कर सकेगा, जिस हेतु शासन से जल आबंटित है। परंतु यदि संस्थान द्वारा ऐसे उपचारित जल (Treated Water) को, संस्थान को शासन द्वारा स्वीकृत प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाता है या किसी अन्य संस्थान को प्रदाय किया जाता है तो इसकी जल–दरें, ताजे पानी (Fresh Water) के लिए निर्दिष्ट जल–दरों के अनुसार प्रभावशील होंगी। इसके साथ ही, संस्थान को ऐसे जल के उपयोग के पूर्व, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्राप्त होने वाले जल–कर राजस्व में संस्थान एवं शासन की हिस्सेदारी 50–50 प्रतिशत के अनुपात में होगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि, शासन द्वारा ऐसी अनुमति सिर्फ और सिर्फ उपचारित जल हेतु प्रदाय की जावेगी।
12. वर्तमान मे औद्योगिक जल उपयोग कर रहे किसी संस्थान द्वारा यदि न्यूनतम 05 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष की जल–कर राशि का अग्रिम भुगतान एक मुश्त किया जाता है तो उसके लिये, "शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचनाओं से जल प्रदाय...." की श्रेणी हेतु तत्समय में प्रचलित जल–दर, उक्त अग्रिम जल–कर भुगतान की अवधि (05 से 10 वर्ष) हेतु स्थायी (Fix) हो जायेगी, भले ही उक्त अवधि में जल–दरों में बढ़ोतरी क्यों न की गई हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajesh Sukumar Toppo
Date: 30-01-2026
12:33:33

(राजेश सुकुमार टोप्पो)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,

..5

Scanned with CamScanner

पृ. क्र./ PROJ/424/2026-WRD/7–ए/जसं./तशा/डी–4/औजप्र/01. दिनांक 02/02/2026

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/कृषि विभाग/वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/ऊर्जा विभाग/वन विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग/आयाकट विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर–अटल नगर।
2. निज सहायक, माननीय भारसाधक विभागीय मंत्री जी सह, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, नवा रायपुर–अटल नगर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर–अटल नगर।
4. संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक–01, तेलीबांधा रायपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर/रायपुर।
6. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/बस्तर/सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़।
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
8. मुख्य अभियंता, ...परियोजना/कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।
9 जिलाध्यक्ष, जिला–रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर)/जशपुर/रायगढ़/ जांजगीर–चांपा/सरगुजा (अंबिकापुर)/कोरबा/कोरिया/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा (कबीरधाम)/धमतरी/ महासमुंद/दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)/उत्तर बस्तर (कांकेर)/नारायणपुर/बीजापुर/बलौदाबाजार–भाटापारा/गरियाबंद/बालोद/बेमेतरा/कोण्डागांव /सुकमा/मुंगेली/बलरामपुर/सूरजपुर/गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही/खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई/मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर/सांरगढ–बिलाईगढ़/मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी/सक्ती।
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर।
11. राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर, (छ.ग.)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, एल.के. कॉर्पोरेट एण्ड लॉजिस्टिक पार्क, दूसरा माला, धमतरी रोड, डुमरतराई, रायपुर।
14. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता .... (विभागाधीन समस्त मैदानी अधीक्षण अभियंता /कार्यपालन अभियंता)।
15. उप नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नवा रायपुर–अटल नगर की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया तत्काल प्रकाशन उपरांत अधिसूचना की 100 प्रतियों का प्रदाय विभाग को शीघ्र करने का कष्ट करें।

2/2/26

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी 2025 — माघ 15, शक 1946

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

अनुक्रमणिका

छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) नियम, 2024

अनुभाग सं.	विषय सूचि
	अध्याय–एक प्रारंभिक
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2	परिभाषायें
	अध्याय–दो छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण
3	सुचारू और उचित तरीके से कार्य करने हेतु व्यवस्था
4	एक. छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के पदाधिकारी दो. राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के कार्य निम्नानुसार होंगे तीन. राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण की निधि
5	एक. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के पदाधिकारी दो. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का कार्य निम्नानुसार होगा तीन. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद की निधि
6	एक. विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति के पदाधिकारी दो. विकासखंड –स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का कार्य निम्नानुसार होगा तीन. विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति की निधि
7	जिला / स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान करना
8	मानदेय

Scanned with CamScanner

	आधारभूत संरचना परियोजनाएं
	अनुसूची–चार
	आवेदन शुल्क चार.क. – भू–जल अमुर्तन की अनुमति की वैधता/नवीनीकरण चार.ख. – भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का विस्तार
	अनुसूची–पांच
	ड्रिलिंग रिग्स का पंजीकरण
	अनुसूची–छः
	आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/नगरीय क्षेत्र में सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू उपयोग
	अनुसूची–सात
	व्यावसायिक उपयोग
	अनुसूची–आठ भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापना शुल्क
	8.1 भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क की दरें एक. नगरीय क्षेत्रों में आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू उपयोग दो. पैकेज्ड पेयजल ईकाइयाँ तीन. अन्य उद्योग एवं अधोसंरचना परियोजनाओं चार. खनन परियोजनाएँ पांच. थोक जल आपूर्ति

Scanned with CamScanner

अनुसूची–आठ

भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापना शुल्क

नगरीय क्षेत्रों में सभी आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों को, भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

सुरक्षित, अर्ध– संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले सभी उद्योगों/खनन/अधोसंरचना परियोजनाओं को, इस दिशानिर्देश में दिए गए विवरण के अनुसार भू–जल निष्कर्षण की मात्रा और मूल्यांकन इकाई की श्रेणी के आधार पर भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

सभी मौजूदा खनन/अधोसंरचना परियोजनाओं और अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले एमएसएमई सहित मौजूदा उद्योगों को, भू–जल निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, नए एमएसएमई, नए अधोसंरचना और अतिदोहन वाले क्षेत्रों में नई खनन परियोजनाओं को भी, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करना होगा।

मौजूदा उद्योग, अधोसंरचना ईकाइयां और खनन परियोजनाएं, जिन्होंने अनुमति प्रदान करने या इसके नवीनीकरण के समय प्रचलित भू–जल दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं संस्थापित/निर्मित की हैं, वे भू–जल निष्कर्षण शुल्क/भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क में, उनके संतोषजनक प्रदर्शन और सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए, 50% (पचास प्रतिशत) की छूट के लिए पात्र होंगे। ।

प्रस्तावित जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क से उदभूत राजस्व को, स्थल–विशिष्ट उपयुक्त माँग/आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के लिये पृथक निधि में रखा जायेगा

8.1 भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क की दरें :

एक. नगरीय क्षेत्रों में आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू उपयोग

सभी आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, जिन्हें केवल पेय/घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता है, उन्हें अनुमति अपेक्षित है, उन्हें तालिका 8.1 में नीचे दी गई दरों के अनुसार भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

Scanned with CamScanner

तालिका 8.1– पेय और घरेलू उपयोग के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क।

भू–जल निष्कर्षण की मात्रा (घन मी./दिन)	भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दर (रु. प्रति घन मीटर)
0–25	कोई शुल्क नहीं
> 25– <200	1.00
200 और उससे अधिक	2.00

पेय/घरेलू उपयोग और सरकारी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए जल की आपूर्ति करने वाली सरकारी/सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों को, भू–जल निष्कर्षण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, रुपये 0.50 प्रति घन मीटर की दर से भू–जल निष्कर्षण शुल्क भुगतान करना होगा। ।

दो. पैकेज्ड पेयजल ईकाइयाँ

सुरक्षित, अर्ध– संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित ईकाइयों में, पैकेज्ड पेयजल ईकाइयों के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें, तालिका 8.2 क में दी गई हैं और अतिदोहन वाली मूल्यांकन ईकाइयों में, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें, तालिका 8.2 ख में दी गई हैं।

तालिका 8.2क: पैकेज्ड पेय जल ईकाइयों के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क्र.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा				
		50 घन मीटर/दिन तक	51 से <200 घन मीटर/दिन	200 से <1000 घन मीटर/दिन	1000 से <5000 घन मीटर/दिन	5000 घन मीटर/दिन और उससे अधिक
1.	सुरक्षित	1.00	3.00	5.00	8.00	10.00
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00
3.	संकटग्रस्त	4.00	10.00	20.00	40.00	60.00

Scanned with CamScanner

तालिका 8.2 ख: पैकेज्ड पेय जल ईकाइयों के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा				
		50 घन मीटर/ दिन तक	51 से <200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	अतिदोहित (मौजूदा उद्योग केवल)	8.00	20.00	40.00	80.00	120.00

तीन. अन्य उद्योग एवं अधोसंरचना परियोजनाओं

सुरक्षित, अर्ध–संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित इकाइयों में अन्य उद्योगों और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें, तालिका 8.3क में दी गई हैं और अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें, तालिका 8.3 ख में दी गई है।

तालिका 8.3 क: अन्य उद्योगों और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	सुरक्षित	1.00	2.00	3.00	5.00
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	2.00	3.00	5.00	8.00
3.	संकटग्रस्त	4.00	6.00	8.00	10.00

Scanned with CamScanner

तालिका 8.3ख: अन्य उद्योगों और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क्र.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग ⇨	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	अतिदोहित (वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा उद्योग/नवीन उद्योग)	6.00	10.00	16.00	20.00

चार. खनन परियोजनाएँ

खनन के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें, जो सुरक्षित, अर्ध–गंभीर और गंभीर मूल्यांकन ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण से संबंधित हैं, तालिका 8.4क में दी गई हैं और अतिदोहन मूल्यांकन ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाली परियोजनाओं के मामले में, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें, तालिका 8.4ख में दी गई हैं। तालिका 8.4 बी में दिए गए हैं।

तालिका 8.4क: खनन के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें (रुपये प्रति घन मीटर)

स.क्र.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	सुरक्षित	1.00	2.00	2.50	3.00
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	2.00	2.50	3.00	4.00
3.	संकटग्रस्त	3.00	4.00	5.00	6.00

Scanned with CamScanner

तालिका 8.3ख: खनन के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	अतिदोहित	4.00	5.00	6.00	7.00

जल निष्कर्षण और पुनर्स्थापन शुल्क सेट–ऑफ योजना

भू–जल शुल्क वॉल्यूमेट्रिक होगा और वास्तविक खपत पर आधारित होगा। प्रारंभिक मात्रा (10 घन मीटर/दिन तक), उपरोक्त शुल्कों की न्यूनतम लागू दर पर ली जाएगी और यदि उपयोग अनुमत मात्रा से अधिक हो जाता है, तो बिलिंग अवधि के दौरान जल के पूरे उपयोग पर, उक्त तालिका में उल्लिखित उच्च दरों पर शुल्क लिया जाएगा।

उपभोक्ता को जल संरक्षण का उचित श्रेय मिलेगा। भू–जल में संरक्षित और/या पुनर्भरण की मात्रा, खपत किए गए जल के उपयोग के साथ निर्धारित की जाएगी। उपयोग किए गए और संरक्षित और/या पुनर्भरण किए गए जल का सेट–ऑफ, वर्ष के अंत में किया जाएगा।

पांच. थोक जल आपूर्ति

भू–जल निष्कर्षण वाले और थोक जल आपूर्तिकर्ताओं के रूप में आपूर्ति के लिए उपयोग करने वाले सभी निजी टैंकरों को, अब भू–जल निष्कर्षण के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। टैंकरों के माध्यम से सुरक्षित, अर्ध–संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले थोक जल आपूर्तिकर्ताओं को, तालिका 8.5क के अनुसार भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। अतिदोहन मूल्यांकन ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले थोक जल आपूर्तिकर्ताओं को, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान, तालिका–8.5 ख के अनुसार करना होगा।

वे सभी उपयोगकर्ता, जो भू–जल निष्कर्षण करते हैं और निजी टैंकरों के माध्यम से थोक जल आपूर्ति के रूप में इसका उपयोग करते हैं, उन्हें समय–समय पर सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी और अद्यतन किए गए थोक जल आपूर्तिकर्ताओं के नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से भू–जल निष्कर्षण की अनुमति लेनी होगी।

सभी टैंकरों को, अपनी आवाजाही/परिचालन क्षेत्र की निगरानी के लिए जीपीएस आधारित प्रणाली संस्थापित करनी होगी।

Scanned with CamScanner

तालिका 8.5क : थोक/टैंकर जल आपूर्ति के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क	
वर्ग	दर प्रति घन मी. (रु. में)
सुरक्षित	10
अर्द्ध– संकटग्रस्त	20
संकटग्रस्त	40

तालिका 8.5ख : थोक/टैंकर जल आपूर्ति के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क	
वर्ग	दर प्रति घन मी. (रु. में)
अतिदोहित	60

छः. खारे भू–जल का निष्कर्षण

उन क्षेत्रों में, जहां या तो प्रत्येक गहराई पर खारा भू–जल है या अन्यथा ताजे जल वाले क्षेत्र में खारे भू–जल के क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए/अधोसंरचना /खनन परियोजनाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें अतिदोहन वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, उनमें खारे भू–जल के निष्कर्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे उद्योगों को, भू–जल निष्कर्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।

गतिशील भू–जल संसाधनों के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक गहराई पर खारा भू–जल वाली ऐसी मूल्यांकन इकाइयों की सूची, सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, इकाइयों द्वारा अपशिष्टों के निपटान के संबंध में उचित सावधानी बरती जाएगी, ताकि जल निकायों और जलभृतों को प्रदूषण से बचाया जा सके।

खारे भू–जल निष्कर्षण, सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा समय–समय पर जारी और अद्यतन किए गए खारे भू–जल निष्कर्षण के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

सात. आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण

राज्य में आर्द्र भूमि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों में भू–जल की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य, आर्द्रभूमि प्राधिकरणों द्वारा अलग से किया जा रहा है। चूँकि भू–जल, आर्द्रभूमि क्षेत्र के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्द्रभूमि क्षेत्र के भीतर किसी भी अत्यधिक भू–जल विकास से, उस आर्द्रभूमि में पानी की मात्रा प्रभावित होगी।

सीमांकित आर्द्रभूमि क्षेत्रों की परिधि से 500 मीटर के भीतर आने वाली परियोजनाओं को, अनिवार्य रूप से एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया

Scanned with CamScanner

जाएगा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी भू–जल निष्कर्षण से संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा, सीजीजीडब्ल्यूए से अनुमति लेने से पहले, परियोजनाओं को, क्षेत्र में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए समुचित आर्द्रभूमि प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण या किसी अन्य समुचित स्थानीय सरकारी प्राधिकरण से सहमति/अनुमोदन लेना होगा।

आठ. स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण वाले सभी उपयोगकर्ता

(सीजीडब्ल्यूए द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2021 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार नया प्रावधान)

यद्यपि व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं को, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भू–जल निष्कर्षण के लिए अनुमति लेने से छूट दी गई है, ऐसे सभी उपयोगकर्ता, चाहे मौजूदा हों या नए, जो स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण कर रहे हों, उन्हें छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण वाले उपयोगकर्ताओं में आवासीय अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, टाउनशिप, बंगले/विला, फार्महाउस, क्लब, होटल, रिसॉर्ट्स, खेल/तैराकी परिसर, तैराकी अकादमियां, स्कूल और इस प्रकार के अन्य संस्थान शामिल हैं। अतिदोहन वाले क्षेत्रों में नए उपयोगकर्ताओं के लिए स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुमति प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया, वेब आधारित एप्लिकेशन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन होगी और अनुमति के लिए आवेदन, सीजीजीडब्ल्यूए के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अनुमति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी:

1. स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण की अनुमति केवल ऐसे मामलों में दी जाएगी, जहां स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी, क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ है।

2. ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को, नियम की अनुसूची–आठ के खंड 3, तालिका 8.3क और 8.3 ख में उल्लिखित दरों के अनुसार, निष्कर्षण वाले प्रस्तावित भू–जल की मात्रा के लिए भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।

3. ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निष्कर्षण संरचनाओं में टेलीमेट्री प्रणाली वाले डिजिटल जल प्रवाह मीटर (बीआईएस/आईएस मानकों के अनुरूप) की स्थापना करना अनिवार्य होगा, जो स्विमिंग पूल के लिए भू–जल के निष्कर्षण की अनुमति मांग रहे हैं और उनकी संस्थापना संबंधी सूचना, वेब–पोर्टल के माध्यम से

Scanned with CamScanner

अनुमति मिलने के 30 दिनों के भीतर सीजीजीडब्ल्यूए को दिया जाएगा। उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से वर्ष में एक बार किसी अधिकृत एजेंसी से जल प्रवाह मीटर का अंशांकन कराना होगा।

4. भू–जल निष्कर्षण वाले ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को, राज्य में प्रचलित भवन उप–विधियों के अनुसार परिसर में छत पर वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण प्रणाली स्थापित करना होगा। उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्विमिंग पूल के जल का उपयोग भू–जल पुनर्भरण के लिए नहीं किया जाए।

5. समुचित प्राधिकारी से वैध अनुमति के बिना, स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण अवैध माना जाएगा और ऐसे उपयोगकर्ता, नियम की अनुसूची–नौ के खंड–चार की तालिका 9.4 के अनुसार निष्कर्षण किये गये भू–जल की मात्रा के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. किसी भी अनुमति शर्तों के उल्लंघन के मामले में, प्रस्तावक, नियम की अनुसूची–नौ के सरल क्रमांक तीन के अनुसार शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

7. अनुमति शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए, जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों (डीसी)/जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को, अवैध कुओं को सील करने, बिजली काटने, अनुमति शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अभियोजन शुरू करने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की कार्रवाई करने जैसे प्रवर्तन उपाय करने के लिए अधिकृत किया गया है। सीजीजीडब्ल्यूए और राज्य जल संसाधन विभाग के तकनीकी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगरानी और आवधिक निरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं।

अनुसूची–नौ

एक.क. भू–जल निष्कर्षण की अनुमति में सामान्य अनुपालन शर्तें

(एक) निष्कर्षण संरचना में टेलीमेट्री प्रणाली वाले छेड़छाड़ रोधी डिजिटल जल प्रवाह मीटर/प्री–पेड मीटर (बीआईएस/आईएस मानक अनुरूप) संस्थापित करना, अनुमति चाहने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक होगा और उनकी संस्थापना संबंधी सूचना, वेब–पोर्टल के माध्यम से अनुमति मिलने के 30 दिनों के भीतर सीजीजीडब्ल्यूए को दिया जाएगा।

यदि भू–जल निष्कर्षण एक ही परिसर के भीतर कई बोर/ट्यूबवेलों से होती है, तो सामान्य आउटलेट बिंदु पर, टेलीमेट्री के साथ छेड़छाड़–रोधी डिजिटल जल प्रवाह मीटर/प्री–पेड मीटर संस्थापित किए जा सकेंगे।

Scanned with CamScanner

(दो) प्रस्तावक को, वर्ष में एक बार अधिकृत एजेंसी से जल प्रवाह मीटर का अंशांकन कराना अनिवार्य होगा ।

(तीन) प्रस्तावक, परियोजना क्षेत्र में छत के उपर वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण प्रणाली संस्थापित करेगा।

(चार) प्रस्तावक, यथा लागू भू–जल निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर, भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान, अनुसूची–आठ में दी गई दरों के अनुसार करेगा।

(पांच) भू–जल स्तर की निगरानी के लिये उद्देश्ययुक्त अवलोकन कुएँ (पीजोमीटर) अनुसूची–नौ (चार) के अनुसार संस्थापित किया जाएगा । जल स्तर का डेटा, सीजीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा । पीजोमीटर के निर्माण के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों, परिशिष्ट–दो में दिया गया हैं ।

(छः) प्रस्तावक को, वर्ष में एक बार निष्कर्षण संरचनाओं से भू–जल की गुणवत्ता की निगरानी करनी होगी। बोरवेल/ट्यूबवेल/खोदे गये कुएँ से जल के नमूने, प्रत्येक अप्रैल/मई के दौरान एकत्रित किये जायेंगें तथा अधारभूत मापदंडों (धनायनों और आयनों), भारी धातु, कीटनाशक/कार्बनिक यौगिक आदि के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जायेगा। जल गुणवत्ता डेटा, सीजीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

(सात) यदि अनुमति की वैधता अवधि के भीतर यांत्रिक/अन्य विफलता के कारण मौजूदा कुआं निष्क्रिय हो जाता है, तो उपयोगकर्ता, वेब पोर्टल पर सीजीजीडब्ल्यूए को सूचित करके, एक प्रतिस्थापन कुआं निर्मित कर सकता है। निष्क्रिय कुएं को समुचित रूप से सील किया जाएगा (अनुसूची–नौ के तहत एक.ख देखें)। उपयोगकर्ता के लिये यह करना आवश्यक होगा कि इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें। तथापि, यदि मौजूदा निष्कर्षण संरचनाएँ, जल देने में विफल रहती हैं और प्रस्तावक, उसी परिसर में दूसरा ट्यूबवेल खोदने की वांछा करता है, तो प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। यदि प्रतिस्थापन कुआँ, किसी भिन्न स्थान पर खोदा जाना है, तो प्रस्तावक, पुनः अनुमति लेगा।

(आठ) जहां भी संभव हो, ग्रीनबेल्ट (बागवानी) के लिए जल की आवश्यकता को पुनर्चक्रित/उपचारित अपशिष्ट जल से पूरा किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

(नौ) स्वामित्व परिवर्तन के मामले में, परिसर के नए मालिक को, परिसर का कब्जा लेने के 60 दिनों के भीतर, दस्तावेजी प्रमाण के साथ अनुमति में आवश्यक बदलावों को शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा।

एक.ख. <u>परित्यक्त बोरवेल और ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपाय</u>

(एक) भूमि/परिसर का स्वामी, बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले, बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के बारे में संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को लिखित रूप में सूचित करेगा (प्ररूप–8क देखें)।

(दो) सभी ड्रिलिंग एजेंसियों अर्थात् सरकारी/अर्धसरकारी, निजी आदि का पंजीकरण, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद से कराना अनिवार्य होगा।

(तीन) ट्यूब/बोरवेल के स्वामी और ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे–

क) ट्यूब/बोरवेल के पास एक साइनबोर्ड होगा जिसमें उपयोगकर्ता एजेंसी/कुएं के स्वामी का पूरा पता और कुएं के निर्माण/पुनर्वास के समय ड्रिलिंग एजेंसी का पता परिशिष्ट–दस के अनुसार होगा।

ख) ट्यूब/बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ या किसी अन्य उपयुक्त अवरोध का निर्माण।

ग) कुएं के आवरण के चारों ओर 0.50x0.50x0.60 मीटर (भू–स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और भू–स्तर से 0.30 मीटर नीचे) मापित, सीमेंट/कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण।

घ) स्टील प्लेट को वेल्डिंग करके या बोल्ट और नट्स के साथ केसिंग पाइप पर एक मजबूत कैप लगाकर कुएं के समनुकम ढांकने वाली पट्टी।

ड.) पंप की मरम्मत के मामले में, ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

च) कार्य पूरा होने के बाद मिट्टी के गड्ढों और नालियों को भरना।

छ) खाली पड़े बोरवेलों को नीचे से भू– स्तर तक मिट्टी/ रेत/ पत्थर/कंकड़/ड्रिल कटिंग आदि से भरना।

Scanned with CamScanner

ज) किसी विशेष स्थान पर ड्रिलिंग कार्य पूरा होने पर, भूमि की स्थिति को, ड्रिलिंग शुरू होने से पूर्व जैसा था, पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए।

(चार) जिला कलेक्टर को, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सत्यापित करने और उचित निगरानी जांच करने की शक्ति होगी।

(पांच) खोदे गए बोरवेलों/ट्यूबवेलों की जिला/ब्लॉक/ग्रामवार स्थिति, अर्थात् उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या, त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की संख्या, जो खुले पाए गए, त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की संख्या, जो भू–स्तर तक ठीक से भरे हुए हैं और त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की शेष संख्या, जो भू–स्तर तक भरा जाना है, परिशिष्ट–ग्यारह के अनुसार जिला भू–जल प्रबंधन परिषद में अनुरक्षित रखा जाना है।

क) ग्रामीण क्षेत्रों में, उपरोक्त की निगरानी, ग्राम सरपंच और कृषि विभाग के कार्यकारी के माध्यम से की जानी है।

ख) शहरी क्षेत्रों के मामले में, उपरोक्त की निगरानी, संबंधित जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य/नगर निगम आदि के कनिष्ठ अभियंता और कार्यकारी के माध्यम से की जानी है।

ग) ट्यूबवेल के स्वामी और ट्यूबवेल की ड्रिलिंग एजेंसी, अभिहित वेब पोर्टल पर परिशिष्ट–बारह के अनुसार उपरोक्त विवरण की रिपोर्ट करने और अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(छः) परित्यक्त कुओं का यादृच्छिक निरीक्षण, संबंधित एजेंसी/विभाग के कार्यकारी द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त सभी प्रकार के आंकड़ों की जानकारी, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद में अनुरक्षित रखी जानी है।

दो. भू–जल निकासी शर्तों की अनुमति के अनुपालन की निगरानी

भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए, छत्तीसगढ़ भू–जल प्राधिकरण, निम्नलिखित कदम उठाएगा :

(क) अनुपालन निगरानी के लिए उपयुक्त एमआईएस विकसित किया जाएगा।

(ख) जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को, अनधिकृत भू–जल निष्कर्षण संरचनाओं को सील करने, बिजली काटने, भू–जल निष्कर्षण की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध मुकदमा चलाने और पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के लिए कार्रवाई करने जैसे प्रवर्तन उपाय करने के लिए अनुसूची–नौ के अंतर्गत सरल क्रमांक चार के अनुसार अधिकृत किया गया है।

Scanned with CamScanner

(ग) सीजीजीडब्ल्यूए और जल संसाधन विभाग, राज्य भू–जल संगठनों के तकनीकी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगरानी और आवधिक निरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं।

(घ) भू–जल निष्कर्षण शर्तों की किसी भी अनुमति के उल्लंघन के मामले में, प्रस्तावक, अनुसूची–नौ के तहत सरल क्रमांक तीन के अनुसार शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

तीन. अनुमति में सुधार/संशोधन के लिए शास्ति और शुल्क का प्रावधान :

समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी भू–जल निष्कर्षण की अनुमति शर्तों का पालन न करने पर, प्रस्तावकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की विभिन्न शर्तों का पालन न करने पर, प्रस्तावित शास्ति की दरें, तालिका 9.1 में दी गई हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शास्ति की दरों की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

तालिका 9.1: भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की शर्तों का अनुपालन न करने पर शास्ति का प्रावधान :

संक्र.	मद	शुल्क रुपये में
1.	टेलीमेट्री सिस्टम के साथ गैर–संस्थापन/दोषपूर्ण डिजिटल जल प्रवाह मीटर	2,00,000
2.	अतिरिक्त भू–जल निष्कर्षण संरचनाओं का गैर–प्रकटीकरण/ निर्माण (क) कार्यात्मक/गैर–कार्यात्मक संरचनाएं (ख) निष्क्रिय/ परित्यक्त टीप : दी गई दरें, इकाई कार्यात्मक/गैर–कार्यात्मक/निष्क्रिय/ परित्यक्त संरचनाओं के लिए हैं। समेकित शास्ति पर पहुंचने के लिए इसे ऐसी कुल संरचनाओं से गुणा किया जाएगा।	 2,00,000 1,00,000
3.	आवेदन में ताजे पानी वाले क्षेत्रों को नमकीन/खारा क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट करना	2,00,000
4.	पीजोमीटर का न लगाया जाना	2,00,000
5.	गैर–संस्थापन/दोषपूर्ण डीडब्ल्यूएलआर/टेलीमेट्री सिस्टम	1,00,000
6.	पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं का गैर–निर्माण/अपर्याप्त क्षमता	5,00,000
7.	जल संरक्षण संरचनाओं/पुनर्भरण संरचनाओं का रखरखाव न करना	2,00,000

Scanned with CamScanner

8.	जलभृत प्रणाली में उपचारित/अनुपचारित पानी का अंतःक्षेपण टीपः शास्ति के अलावा, प्रस्तावक को, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार जलभृत सुधार की लागत वहन करनी होगी	10,00,000
9.	जल स्तर/जल गुणवत्ता डेटा प्रस्तुत न करना	50,000
10.	दैनिक निष्कर्षण की लॉग बुक का रखरखाव न करना/भू–जल निष्कर्षण डेटा प्रस्तुत न करना	50,000
11.	पुनर्भरण संरचनाओं की तस्वीर प्रस्तुत न करना	50,000
12.	स्व–अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करना	1,00,000
13.	गैर अधिकृत/अपंजीकृत ड्रिलिंग रिग्स (प्रति संरचना) द्वारा भू–जल निष्कर्षण संरचनाओं का निर्माण	1,00,000
14.	जलापूर्ति टैंकरों का पंजीयन न होना	5,00,000
15.	गलत सूचना/वचन पत्र प्रस्तुत करना	1,00,000
16.	रिग मशीन का पंजीकरण न होना	1,00,000

अनुमति के नए/नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क, सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार लिया जाएगा और आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मौजूदा जारी अनुमति में सुधार/संशोधन के लिए भी शुल्क देय होगा। ऐसे शुल्कों का विवरण, तालिका 9.2 में दिया गया है।

तालिका 9.2: भू–जल निष्कर्षण की मौजूदा जारी अनुमति में सुधार/संशोधन या परिवर्तन के लिए प्रभार/शुल्क :

संक्र.	मद	शुल्क रुपये में
1.	यूजर आईडी में परिवर्तन	5,000
2.	फर्म के नाम में परिवर्तन	5,000
3.	भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का विस्तार	5,000
4.	भू–जल निष्कर्षण की डुप्लीकेट अनुमति जारी करना	5,000
5.	भू–जल निष्कर्षण की अनुमति के लिए शुद्धिपत्र जारी करना	5,000
6.	कोई अन्य मद/सुधार आदि	5,000

Scanned with CamScanner

चार. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

समुचित प्राधिकारी से भू–जल निष्कर्षण की वैध अनुमति लिये बिना उद्योगों, अधोसंरचना ईकाइयों और खनन परियोजनाओं द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए भू–जल का निष्कर्षण, अवैध माना जाएगा और ऐसी संस्थाएं, इस प्रकार निष्कर्षण किये गए भू–जल की मात्रा के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित मानदंडों का उपयोग, नीचे उल्लिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के लिए किया जाएगा :

EC_{GW} ⇒ Environmental Compensation Ground Water

ईसी$_{जीडब्ल्यू}$ = प्रतिदिन भू–जल खपत x पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर (ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$)x दिनों की संख्या x निवारण कारक

जहां भू–जल की खपत घन मी./दिन में है और ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$ रु./प्रति घनमीटर में है

क. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दरें :

मूल्यांकन ईकाइयों कीं विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$) की दरें, तालिका 9.3 से 9.5 में दी गई हैं।

तालिका 9.3: पैकेज्ड पेयजल ईकाइयों के लिए ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$ [Environmental Compensation Rate Ground Water]

क्र. सं.	क्षेत्र श्रेणी	जल उपभोग (घन मी./दिन)			
		<200/	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर (ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$) रु./घन मी.में			
1.	सुरक्षित	12	18	24	30
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	24	36	48	60
3.	संकटग्रस्त	36	48	66	90
4.	अतिदोहित	48	72	96	120
टीप :–न्यूनतम ईसी$_{जीडब्ल्यू}$ रुपये 1,00,000/– से कम नहीं होगा।					

Scanned with CamScanner

तालिका 9.4: खनन/अधोसंरचना डी–वाटरिंग परियोजनाओं के लिए ईसीआर$_{\text{जीडब्ल्यू}}$

क्र. सं.	क्षेत्र श्रेणी	जल उपभोग (घन मी./दिन)			
		<200/	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर (ईसीआर$_{\text{जीडब्ल्यू}}$) रु./घन मी.में			
1.	सुरक्षित	15	21	30	40
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	30	45	60	75
3.	संकटग्रस्त	45	60	85	115
4.	अतिदोहित	60	90	120	150
टीप :–न्यूनतम ईसी$_{\text{जीडब्ल्यू}}$ रुपये 1,00,000/– से कम नहीं होगा।					

तालिका 9.5 : औद्योगिक ईकाइयों के लिए ईसीआर$_{\text{जीडब्ल्यू}}$

क्र. सं.	क्षेत्र श्रेणी	जल उपभोग (घन मी./दिन)			
		<200/	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर (ईसीआर$_{\text{जीडब्ल्यू}}$) रु./घन मी.में			
1.	सुरक्षित	20	30	40	50
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	40	60	80	100
3.	संकटग्रस्त	60	80	110	150
4.	अतिदोहित	80	120	160	200
टीप :–न्यूनतम ईसी$_{\text{जीडब्ल्यू}}$ रुपये 1,00,000/– से कम नहीं होगा।					

ख. नुकसान और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति के लिए निवारक कारक (पैकेज्ड पेयजल ईकाइयों, खनन, उद्योगों और अधोसंरचना डी–वाटरिंग परियोजनाओं के लिए)

नुकसान और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति के लिए अवैध भू–जल निष्कर्षण की अवधि के आधार पर, तालिका 9.6 में वर्णित अनुसार, निम्नलिखित निवारक कारक ग्रहित किये जाएंगे।

Scanned with CamScanner

तालिका 9.6 : भू–जल निष्कर्षण की मात्रा और अवैध दोहन के वर्षों की संख्या पर आधारित निवारक कारक

संक्र.	जल खपत	निरोध कारक		
		<2 वर्ष	2–5 वर्ष	>5 वर्ष
1.	<1000 केएलडी	1.00	1.00	1.25
2.	1000–5000 केएलडी	1.00	1.00	1.50
3.	>5000 केएलडी	1.00	1.25	2.00

टीप : केएलडी – किलोलीटर प्रति दिन

पांच. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें (सभी पर लागू):

(एक) सीजीजीडब्ल्यूए से भू–जल निष्कर्षण की वैध अनुमति नहीं रखने वाले व्यक्ति/एजेंसी द्वारा भू–जल की बिक्री की अनुमति नहीं है।

(दो) अधोसंरचना परियोजनाओं में, भू–जल प्रवेश/संचयन सुनिश्चित करने के लिए पक्के/पार्किंग क्षेत्र को इंटरलॉकिंग/छिद्रित टाइलों या अन्य उपयुक्त उपायों से आच्छादित किया जाना चाहिए।

(तीन) अधोसंरचना परियोजनाओं के मामले में, फर्म/इकाई, परियोजनाओं में दोहरी जल आपूर्ति प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। इसका अनुपालन, वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(चार) भू–जल निष्कर्षण की अनुमति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने पर, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति को रद्द करने/भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का नवीनीकरण न करने के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकेगा।

(पांच) सुसंगत खण्डों में निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों के बिना, किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(छः) निष्कर्षण संरचनाएं, परियोजना संपत्ति के परिसर के अंदर स्थित होनी चाहिए।

(सात) भू–जल निष्कर्षण की अनुमति में निर्धारित शर्तों के स्व–अनुपालन की रिपोर्ट, उपयोगकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ भू–जल प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी तथा विभिन्न सेवाओं के लिए समय–समय पर निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

छः. भू–जल स्तर की निगरानी

औद्योगिक क्षेत्रों, जो कि इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित है, के अलावा, सभी परियोजना प्रस्तावक, (कठोर चट्टानी जलभृत प्रकार के लिए 100 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल निष्कर्षण और जलोढ़ जलभृत प्रकार के लिए 500 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल का निष्कर्षण कर रहें है), को भू–जल स्तर की निगरानी के लिए उनके परिसर के भीतर पीजोमीटर (अवलोकन कुएं) का निर्माण करना अनिवार्य है। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में (केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या अधिसूचित), केंद्रीय भू–जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), स्थानीय जल–भूवैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार आवश्यकता–आधारित पीजोमीटर का निर्माण करेगा और जल स्तर की निगरानी करेगा। परियोजना क्षेत्र में भू–जल स्तर की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु शर्तों के अनुपालन करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। इस संबंध में परियोजना समर्थकों द्वारा पीजोमीटर के माध्यम से जल स्तर की निगरानी के लिए आवश्यक मानदंड, तालिका 9.7 में दिए गए हैं।

तालिका 9.7 : डिजिटल भू–जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) और टेलीमेट्री के साथ बनाए जाने वाले पीजोमीटर की संख्या और जल स्तर निगरानी तंत्र का प्रकार

संक्र.	भू–जल निकासी की मात्रा (घन मी./दिन)	पीजोमीटर की संख्या (डीडब्ल्यूएलआर और टेलीमेट्री अपेक्षा के साथ)
1.	0–100	0
2.	>100 (औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अन्य कठोर चट्टानी जलभृत प्रकार)	1
3.	>500 (औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अन्य जलोढ़ जलभृत प्रकार)	1

पीजोमीटर को, उपयुक्त रूप से स्थित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीजोमीटर में टैप किया गया जलभृत का क्षेत्र, पंपिंग कुएं के समान है।

Scanned with CamScanner